नईदुनिया

संपादकीय

आस्था के मेले में अर्थव्यवस्था का नया द्वार, घर ही होमस्टे बनेगा

सिंहस्थ 2028 की चर्चा आते ही मन में क्षिप्रा के घाट और महाकाल की जयकार गूंजती है, लेकिन इस बार उज्जैन में एक नई सोच भी जुड़ रही है कि क्या आस्था के इस महामेले को स्थानीय लोगों की अतिरिक्त आय का जरिया बनाया जा सकता है। मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड ने होमस्टे योजना में पंजीयन का अवसर दिया है। यदि घर में अतिरिक्त कमरा है तो उसे होमस्टे के रूप में पंजीकृत कर कमाई का जरिया बनाया जा सकता है। यह केवल पर्यटन विभाग की योजना नहीं, सोच में बदलाव है।

सिंहस्थ को केवल भीड़ प्रबंधन के चश्मे से नहीं देखना चाहिए। इसे अर्थव्यवस्था के उत्सव के रूप में देखना चाहिए। जब लाखों लोग शहर में आते हैं तो वे केवल दर्शन नहीं करते, खाना खाते हैं, सामान खरीदते हैं, ऑटो में बैठते हैं और घर किराए पर लेते हैं। यदि पैसा बड़े होटलों में ही चला गया तो स्थानीय परिवार को क्या मिलेगा? होमस्टे इसी सवाल का जवाब है। इससे पैसा सीधे घर में आएगा, महिलाओं के हाथ में आएगा और मोहल्ले की दुकानों तक पहुंचेगा।

इस योजना का सबसे बड़ा लाभ अतिरिक्त आय है। उज्जैन में कई परिवारों के पास बड़ा घर है, लेकिन आय सीमित है। बच्चे बाहर रहते हैं और ऊपर का कमरा खाली पड़ा है। यदि वही कमरा सिंहस्थ के दौरान होमस्टे बन जाए तो आय का अच्छा जरिया बन सकता है। यह केवल पैसा नहीं, आत्मविश्वास भी है कि हमारा घर अर्थव्यवस्था का हिस्सा बन सकता है।

हर अच्छी योजना के साथ चुनौतियां भी आती हैं। पहली चुनौती सुरक्षा की है। क्या हर घर पर्यटक के लिए सुरक्षित है? दूसरी चुनौती स्वच्छता की है। क्या घर में शौचालय, पानी और सफाई का मानक होगा? तीसरी चुनौती व्यवहार की है। क्या मेजबान परिवार को प्रशिक्षण दिया जाएगा? इन सवालों का जवाब पहले से तैयार नहीं किया गया तो होमस्टे की छवि खराब हो सकती है। अच्छी योजना केवल घोषणा से नहीं चलती, उसकी निगरानी जरूरी है।

बुजुर्ग मकान मालिकों के लिए यह अवसर है। युवा होमस्टे के साथ गाइड और भाषा अनुवादक का काम कर सकते हैं। महिलाएं भोजन व्यवस्था संभालकर अपनी रसोई को उद्यम बना सकती हैं। प्रशासन को केवल होटल शिप्रा रेजिडेंसी में काउंटर लगाकर नहीं बैठना चाहिए, बल्कि मोहल्ला-मोहल्ला जाकर लोगों को समझाना चाहिए कि होमस्टे क्या है और कैसे आय देगा।

हमारा आग्रह है कि होमस्टे को केवल कमाई का जरिया मत बनाओ, इसे संस्कृति का सेतु बनाओ। मेहमान को केवल बिस्तर नहीं, उज्जैन की कहानी दो। उसे बताओ कि सिंहस्थ बारह साल में क्यों आता है, क्षिप्रा का महत्व क्या है और महाकाल की भस्म आरती क्या है। जब पर्यटक लौटेगा तो अपने साथ केवल फोटो नहीं, भाव लेकर जाएगा और यही भाव अगली बार लोगों को उज्जैन लाएगा।

सिंहस्थ में घर बनेगा कमाई का जरिया - यह नारा केवल आर्थिक नहीं, सामाजिक भी है। जब हर घर मेजबान बनेगा तो शहर केवल प्रशासन के भरोसे नहीं रहेगा, पूरा शहर एक होटल बन जाएगा और हर नागरिक उसका मैनेजर होगा। यही असली अतिथि देवो भव है। यदि उज्जैन इस प्रयोग में सफल हुआ तो यह मॉडल प्रयागराज, हरिद्वार और नासिक के लिए भी नजीर बनेगा। आस्था जब अर्थ से जुड़ती है तो विकास केवल घाटों पर नहीं, घरों में भी उतरता है।

आजकल

बचपन की डिजिटल डकैती

सोशल मीडिया अब मनोरंजन नहीं रहा, वह बचपन की परवरिश में दखल बन गया है। बारह-तेरह साल का बच्चा इंस्टाग्राम पर रील बनाता है तो उसे लगता है कि वह दुनिया जीत रहा है, लेकिन असल में दुनिया उसके डेटा को बेच रही होती है। फेसबुक, यूट्यूब, स्नैपचैट जैसे प्लेटफॉर्म तेरह साल की उम्र में दरवाजा खोल देते हैं, जबकि भारत में अठारह साल से कम उम्र का व्यक्ति नाबालिग है। इसी विरोधाभास पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को नोटिस दिया है।

भारत में आईटी नियम 2021 और कंपनियों की पॉलिसी के बीच बड़ा फर्क है। भारत में बच्चा अठारह में बालिग होता है तो डिजिटल दुनिया में वह तेरह में बालिग कैसे हो गया? याचिका में तीन मांगें हैं - आईटी नियमों में बदलाव, माता-पिता की सहमति के बिना अकाउंट न बने और माता-पिता की ई-केवाईसी अनिवार्य हो।

ऑनलाइन ग्रूमिंग, साइबर बुलिंग, यौन शोषण, निजी डेटा की चोरी और अश्लील कंटेंट तक पहुंच के खतरे सामने हैं। इससे बड़ा खतरा बचपन का खत्म होना है। लाइक के लिए जीना, फिल्टर के लिए चेहरा बदलना और हर मिनट खुद को जज कराना बच्चों को खोखला कर रहा है। एल्गोरिदम को नहीं पता कि सामने दस साल का बच्चा है या तीस साल का युवक। वह सिर्फ व्यू और वॉच टाइम देखता है और कंटेंट परोसता है।

केंद्र सरकार को तकनीकी और नैतिक दोनों स्तरों पर सोचना होगा। ई-केवाईसी और पैरेंटल कंसेंट अनिवार्य हों। माता-पिता के डिजिटल साइन के बिना बच्चे का अकाउंट एक्टिव न हो। कंपनियों को भारतीय कानून के हिसाब से ढलना होगा, न कि भारतीय बच्चों को अमेरिकी कानून के हिसाब से। सुप्रीम कोर्ट का नोटिस एक पूरी पीढ़ी को बचाने के लिए है। अगर आज नहीं चेते तो कल हमारे बच्चे वोट डालने से पहले ही अपनी निजता, बचपन और मासूमियत का सौदा कर चुके होंगे।

शोर के दौर में सच की पहचान और जेन जी की परीक्षा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वडोदरा की धरती से एक ऐसी बात कही, जो भाषण से अधिक जीवन मंत्र जैसी है। उन्होंने कहा, झूठ की गूंज से न बहकें देश के युवा। यह वाक्य सुनने में छोटा लगता है, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ी चिंता छिपी है। आज का समय शोर का समय है। हर तरफ सूचनाओं का शोर है। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ दिखा रहा है। ऐसे में युवा किस पर भरोसा करे, यही सबसे बड़ी चुनौती है। प्रधानमंत्री ने इसी चुनौती को पहचाना और युवाओं को चेतावनी दी कि गूंज को सच मत समझो।

झूठ पहले भी था, लेकिन अब उसकी गूंज बहुत तेज हो गई है। पहले झूठ एक गली में बोला जाता था, अब वह एक क्लिक पर पूरी दुनिया में फैल जाता है। एक छोटा सा झूठ वीडियो में बदलता है, फिर उस पर संगीत लगता है, फिर उसे हजारों लोग साझा करते हैं और फिर वह सच जैसा लगने लगता है। प्रधानमंत्री ने इसी को गूंज कहा है। गूंज वह होती है, जो मूल आवाज से कई गुना बड़ी लगती है। आज सोशल मीडिया ने हर झूठ को गूंज बना दिया है। इसलिए युवाओं को आंख-कान खुले रखने की जरूरत है।

वडोदरा के एमएस यूनिवर्सिटी पवेलियन ग्राउंड में छह हजार जेन जी युवाओं के बीच प्रधानमंत्री ने पैंतीस हजार करोड़ रुपये से अधिक की योजनाओं की सौगात दी। रेल, सड़क, आवास और शहरी विकास की योजनाओं के जरिए उन्होंने बताया कि विकास कैसे रोजगार से जुड़ता है। उन्होंने 2,800 किमी लंबे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को देश की नई लाइफलाइन कहा। पहले जो माल सड़क से तीस घंटे में पहुंचता था, अब वही माल बारह घंटे में पहुंच रहा है। एक मालगाड़ी ढाई सौ ट्रकों के बराबर माल ले जा रही है। इससे लागत घट रही है और फल-सब्जियां जल्दी बाजार पहुंच रही हैं। यह आंकड़ा नहीं, बल्कि सोच है, जो भारत को आगे ले जा रही है।

प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि कुछ लोग भारत की प्रगति से कभी खुश नहीं होते। उन्होंने कहा कि अब नाराज फूफा फिर पूछेंगे कि ट्रक वालों का क्या होगा। यह तंज बहुत गहरा है। इसका अर्थ है कि कुछ लोग हर अच्छे काम में बाधा खोजते हैं। जब नई तकनीक आती है तो वे डर फैलाते हैं कि नौकरी चली जाएगी। जब डिजिटल भुगतान बढ़ता है तो कहते हैं कि गरीब का क्या होगा। ऐसे लोग सुधार नहीं चाहते, वे केवल भ्रम चाहते हैं। युवाओं को इस मानसिकता से बचना होगा। जेन जी सबसे ज्यादा ऑनलाइन रहती है, वह सबसे ज्यादा रील देखती है और सबसे जल्दी भरोसा भी कर लेती है। इसलिए झूठ फैलाने वालों का पहला निशाना युवा ही होता है। युवा भावुक होता है, उसे लगता है कि जो बात जोश में कही गई है, वही सच है। लेकिन प्रधानमंत्री ने कहा कि जोश के साथ होश भी जरूरी है। यदि युवा भ्रम में फंस गया तो उसका करियर और देश का भविष्य दोनों प्रभावित होंगे। इसलिए युवाओं को पूछना सीखना होगा कि जो बात कही जा रही है, उसका स्रोत क्या है, उसका प्रमाण क्या है।

वडोदरा के एमएस यूनिवर्सिटी पवेलियन ग्राउंड में छह हजार जेन जी युवाओं के बीच प्रधानमंत्री ने पैंतीस हजार करोड़ रुपये से अधिक की योजनाओं की सौगात दी। रेल, सड़क, आवास और शहरी विकास की योजनाओं के जरिए उन्होंने बताया कि विकास कैसे रोजगार से जुड़ता है। उन्होंने 2,800 किमी लंबे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को देश की नई लाइफलाइन कहा। पहले जो माल सड़क से तीस घंटे में पहुंचता था, अब वही माल बारह घंटे में पहुंच रहा है। एक मालगाड़ी ढाई सौ ट्रकों के बराबर माल ले जा रही है। इससे लागत घट रही है और फल-सब्जियां जल्दी बाजार पहुंच रही हैं। यह आंकड़ा नहीं, बल्कि सोच है, जो भारत को आगे ले जा रही है।

मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितता के बीच भारत की सात से अधिक प्रतिशत वृद्धि दुनिया के लिए भरोसे का आधार है। यह बात युवाओं के लिए बहुत अहम है। जब दुनिया में कई देश मंदी से जूझ रहे हैं, तब भारत आगे बढ़ रहा है। यह इसलिए संभव हुआ, क्योंकि भारत ने अफवाहों पर नहीं, बल्कि काम पर ध्यान दिया। 2014 के बाद 50 हजार आधुनिक रेल कोच बने। यह काम बोलता है, झूठ की गूंज नहीं।

युवा झूठ से कैसे बचे, इसके लिए पांच मंत्र हैं। रुको और सोचो - कोई भी खबर मिलते ही साझा मत करो। दूसरा मंत्र है, स्रोत देखो - खबर कहां से आई है, क्या वह भरोसेमंद है? तीसरा मंत्र है, तर्क करो - क्या यह बात तर्क पर खरी उतरती है? तुलना करो - क्या दूसरी जगह भी यही बात कही जा रही है? काम पर ध्यान दो - अपना समय निर्माण में लगाओ, न कि बहस में। जो युवा इन पांच मंत्रों को अपनाएगा, वह झूठ की गूंज से बच जाएगा।

प्रधानमंत्री के इस आह्वान का असर धीरे-धीरे दिखेगा। युवा अब केवल सुनने वाला नहीं, बल्कि परखने वाला बनेगा। वह सवाल पूछेगा कि जो व्यक्ति उसे डरा रहा है, उसने खुद क्या बनाया है। युवा समझेगा कि विकसित भारत केवल सरकार की योजना नहीं, बल्कि उसकी अपनी जिम्मेदारी है। वडोदरा में 'वी विल रॉक यू' गीत पर युवाओं का झूमना बताता है कि ऊर्जा तैयार है, बस उसे सही दिशा चाहिए।

झूठ की गूंज तेज हो सकती है, लेकिन उसकी उम्र छोटी होती है। सच धीरे चलता है, लेकिन दूर तक जाता है। प्रधानमंत्री ने युवाओं को यही याद दिलाया है कि अंत में जीत सच्चाई की ही होगी। युवा यदि सच्चाई के साथ खड़ा रहा तो कोई भी गूंज उसे बहका नहीं सकती। यही विकसित भारत की असली नींव है।

(नईदुनिया संपादकीय डेस्क)

ब्रिक्स की अग्निपरीक्षा: मंच एक सोच अलग-अलग

ब्रिक्स का अठारहवां शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में होने जा रहा है और इस बार सम्मेलन से ज्यादा चर्चा उसके घोषणापत्र को लेकर है। घोषणापत्र किसी भी अंतरराष्ट्रीय संगठन की आत्मा होता है। वही बताता है कि संगठन किस दिशा में सोचना चाहता है। इस बार ब्रिक्स के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि एक ही मेज पर बैठे दो देशों के हित टकरा रहे हैं। एक तरफ ईरान है, दूसरी तरफ यूएई है। दोनों के बीच पश्चिम एशिया को लेकर गहरी असहमति है और यही असहमति घोषणापत्र को कमजोर कर सकती है। भारत के लिए यह कूटनीतिक परीक्षा की घड़ी है।

पहले ब्रिक्स में पांच देश थे, अब इसमें कई नए देश जुड़ गए हैं। विस्तार से संगठन बड़ा तो हुआ है, लेकिन उसकी जटिलता भी बढ़ी है। पहले संगठन में आर्थिक सहयोग मुख्य मुद्दा था, अब उसमें भू-राजनीति जुड़ गई है। ईरान और यूएई दोनों ही ऊर्जा शक्ति हैं। दोनों की अपनी चिंताएं हैं। ईरान चाहता है कि फिलिस्तीन और युद्ध के मुद्दे पर ब्रिक्स कड़ा रुख अपनाए। यूएई चाहता है कि भाषा नरम हो, ताकि खाड़ी में व्यापार और शांति बनी रहे। यह टकराव बताता है कि बड़ा परिवार चलाना आसान नहीं होता।

कूटनीति में शब्द ही हथियार होते हैं। एक शब्द से दोस्ती बनती है और एक शब्द से दुश्मनी बढ़ती है। ईरान चाहता है कि घोषणापत्र में आक्रामकता, निंदा जैसे शब्द आएं और फिलिस्तीन के समर्थन में ठोस वाक्य हों। यूएई चाहता है कि संवाद, कूटनीति, तनाव में कमी और अंतरराष्ट्रीय कानून का सम्मान जैसे संतुलित शब्द आएं। भारत इस बीच पुल का काम कर रहा है। भारत जानता है कि यदि किसी एक पक्ष की भाषा मानी गई तो दूसरा पक्ष नाराज होगा और संगठन में दरार आएगी। इसलिए भारत ऐसे शब्दों की तलाश में है, जो सभी को स्वीकार्य हों।

कूटनीति में शब्द ही हथियार होते हैं। एक शब्द से दोस्ती बनती है और एक शब्द से दुश्मनी बढ़ती है। ईरान चाहता है कि घोषणापत्र में आक्रामकता, निंदा जैसे शब्द आएं और फिलिस्तीन के समर्थन में ठोस वाक्य हों। यूएई चाहता है कि संवाद, कूटनीति, तनाव में कमी और अंतरराष्ट्रीय कानून का सम्मान जैसे संतुलित शब्द आएं। भारत इस बीच पुल का काम कर रहा है। भारत जानता है कि यदि किसी एक पक्ष की भाषा मानी गई तो दूसरा पक्ष नाराज होगा और संगठन में दरार आएगी। इसलिए भारत ऐसे शब्दों की तलाश में है, जो सभी को स्वीकार्य हों।

भारत ने बहुत चतुराई से एक नया रास्ता निकाला है। उसने कहा है कि पश्चिम एशिया पर अटकने के बजाय हमें आतंकवाद पर ध्यान देना चाहिए। आतंकवाद ऐसा मुद्दा है, जिस पर ईरान, यूएई, रूस, चीन सभी सहमत हैं। कोई भी देश खुलकर आतंकवाद का समर्थन नहीं कर सकता। भारत ने कहा है कि घोषणापत्र में आतंकवाद के विरुद्ध ठोस कार्रवाई और बहुपक्षीय संस्थाओं में सुधार को जगह दी जाए। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, विश्व बैंक और आईएमएफ में ग्लोबल साउथ की आवाज बुलंद होनी चाहिए। यह रणनीति विवाद को टालकर सहयोग की ओर ले जाती है।

इस सम्मेलन का सबसे मौलिक विचार है तकनीक से अपराध रोकना। ब्रिक्स देश आर्थिक भगोड़ों को पकड़ने के लिए एआई का उपयोग करने जा रहे हैं। यह बहुत बड़ा बदलाव है। अब तक ब्रिक्स को केवल भाषणों का मंच माना जाता था, लेकिन यदि वित्तीय सूचनाओं का आदान-प्रदान तेज होता है तो यह मंच कार्रवाई का मंच बन सकता है। सोचिए, यदि कोई आर्थिक अपराधी एक देश से भागकर दूसरे ब्रिक्स देश में छिपता है तो एआई आधारित सिस्टम उसकी बैंकिंग गतिविधि को तुरंत पकड़ लेगा। शेल कंपनियों और हवाला नेटवर्क का पता लगाना आसान होगा। आतंकवाद की फंडिंग पर भी रोक लगेगी। यह प्रस्ताव भारत की अध्यक्षता की सबसे बड़ी उपलब्धि हो सकती है।

राजनीति में टकराव होता रहेगा, लेकिन सहयोग का असली क्षेत्र कृषि और ऊर्जा है। भारत, ब्राजील और रूस कृषि में मजबूत हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण पूरी दुनिया में खाद्य संकट गहरा रहा है। ऐसे में बीज तकनीक का साझा करना बहुत जरूरी है। यदि भारत का बाजरा ब्राजील में उगे और ब्राजील की सोयाबीन तकनीक भारत में आए तो खाद्य सुरक्षा मजबूत होगी। ऊर्जा में भी सौर ऊर्जा और ग्रीन हाइड्रोजन भविष्य हैं। खाड़ी देशों के पास पूंजी है, भारत के पास तकनीक है, रूस के पास संसाधन हैं। यदि ये तीनों मिल जाएं तो ऊर्जा का नया बाजार बन सकता है।

जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में एनएसजी का मॉक ड्रिल केवल सुरक्षा अभ्यास नहीं है। यह संदेश है कि भारत इस सम्मेलन को कितनी गंभीरता से ले रहा है। जब दुनिया में आतंकी खतरे बढ़ रहे हैं, तब इस तरह का अभ्यास बताता है कि ब्रिक्स देश सुरक्षा को लेकर एकजुट हैं।

ब्रिक्स के सामने चुनौती बड़ी है, लेकिन अवसर भी बड़ा है। यदि ईरान और यूएई के बीच संतुलन बन गया तो यह संगठन की परिपक्वता का प्रमाण होगा। यदि एआई आधारित जांच तंत्र और कृषि-ऊर्जा साझेदारी पर सहमति बनी तो ब्रिक्स केवल घोषणाओं का मंच नहीं, बल्कि समाधान का मंच बन जाएगा। भारत के लिए यह मौका है कि वह न तो किसी एक पक्ष का साथ दे, बल्कि सभी को साथ लेकर चले। शब्दों में नरमी और इरादों में मजबूती - यही ब्रिक्स के घोषणापत्र की सफलता का मंत्र होना चाहिए।

(नईदुनिया संपादकीय डेस्क)

रक्षक ही पहचान उजागर कर दे तो न्याय की किताब किस काम की

सोच की दरार जहां से शुरू होती है, चूक वहीं से शुरू होती है। एक विभाग पुस्तिका बनाता है ताकि महिला को न्याय मिले, वही विभाग उस पुस्तिका में महिला का नाम छाप देता है। यह केवल टाइपिंग की गलती नहीं है, यह सोच की दरार है। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को इसी दरार के लिए फटकारा है। सवाल बहुत सीधा है कि जो मंत्रालय महिलाओं की सुरक्षा का पहरेदार है, वही यदि पहचान उजागर कर दे तो पीड़िता किस दरवाजे पर जाए? अदालत ने कहा, आप भारत सरकार हैं, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? यह वाक्य गुस्से से ज्यादा चिंता का है।

कानून की आत्मा नाम नहीं बताना ही न्याय है। पॉश कानून का मूल मंत्र है कि पीड़िता का नाम कभी सार्वजनिक नहीं होना चाहिए। नाम गोपनीय रखना दया नहीं है, यह अधिकार है, यह सुरक्षा है, यह भरोसा है कि यदि महिला शिकायत करेगी तो उसका नाम सड़कों पर नहीं उछलेगा। सुप्रीम कोर्ट कई बार कह चुका है कि यौन उत्पीड़न की पीड़िता की पहचान को छिपाना कानून का अनिवार्य हिस्सा है। फिर भी 2015 में प्रकाशित हैंडबुक में ट्रिब्यूनल के आदेश को ज्यों का त्यों छाप दिया गया। वकील ने कहा कि महिला की पहचान भी सामने आ गई और हैंडबुक इंटरनेट पर कई जगह मौजूद है। यानी गलती एक बार हुई और उसका प्रसार हजार बार हुआ।

यह चूक इसलिए बड़ी है क्योंकि यह किसी प्राइवेट प्रकाशक से नहीं हुई, यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से हुई है, जिसने पॉश को समझाने के लिए यह पुस्तिका बनाई थी। यदि शिक्षक ही किताब में गलत सूत्र लिख दे तो छात्र क्या सीखेगा? यही हाल यहां हुआ है। मंत्रालय की वेबसाइट पर यह पुस्तिका लंबे समय तक उपलब्ध रही। किसी अधिकारी ने यह नहीं सोचा कि उदाहरण में नाम हटाना जरूरी है। यह लापरवाही बताती है कि सरकारी काम में समीक्षा की परंपरा कमजोर हो गई है। छापो और भूल जाओ की आदत बन गई है।

अदालत की फटकार का असली अर्थ क्या है? अदालत की फटकार केवल डांट नहीं है। यह एक चेतावनी है कि कानून लिखने वाला यदि खुद कानून तोड़े तो समाज का भरोसा टूट जाता है। जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने जब पूछा, आधिकारिक वेबसाइट पर पीड़िता का नाम कैसे आया, तो यह प्रश्न केवल एक पुस्तिका पर नहीं था। यह पूरी कार्यप्रणाली पर था कि क्या विभाग ने प्रकाशन से पहले विधिक जांच की थी? क्या किसी ने पीड़िता के अधिकारों को पढ़ा था? अदालत ने अधिकारियों के नाम तलब किए हैं। यह संकेत है कि जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। निलंबन जैसी औपचारिक कार्रवाई से काम नहीं चलेगा। कल्पना कीजिए कि एक महिला हिम्मत जुटाकर शिकायत करती है। वह नौकरी बचाने के लिए नहीं, बल्कि गरिमा बचाने के लिए लड़ती है। फिर एक दिन वह देखती है कि उसकी कहानी सरकारी किताब में नाम के साथ छपी है। इंटरनेट पर कोई भी उसका नाम पढ़ सकता है। उसका परिवार, पड़ोस और भविष्य का नियोक्ता सब जान जाता है। वह दूसरी बार पीड़ित होती है - पहली बार उत्पीड़न से, दूसरी बार व्यवस्था से। इसलिए कानून कहता है कि पहचान छिपाओ, ताकि पीड़िता दोबारा पीड़ित न हो।

हमारे देश में एक आदत बन गई है कि पुस्तक प्रकाशित करना ही सुधार मान लिया जाता है। हैंडबुक छप गई, प्रशिक्षण हो गया, फोटो लग गई, लेकिन उस पुस्तक में क्या लिखा है, यह कोई नहीं देखता। पॉश हैंडबुक का उद्देश्य जागरूकता था, लेकिन यदि जागरूकता की किताब ही अजागरूकता फैलाए तो उस पुस्तक का क्या मूल्य है? यह घटना बताती है कि हमें कागजी खानापूर्ति से निकलकर जीवंत समीक्षा की ओर जाना होगा। जब सरकार की पुस्तक में ही नाम छप जाता है तो आम महिला सोचेगी कि यदि मैं शिकायत करूंगी तो मेरा नाम भी कहीं छप जाएगा। इस डर से कई महिलाएं शिकायत ही नहीं करतीं। आंकड़े कहते हैं कि कार्यस्थल पर उत्पीड़न के कई मामले दर्ज ही नहीं होते। वजह है भरोसे की कमी। यह चूक उस कमी को और बढ़ाती है। सरकार को समझना होगा कि भरोसा केवल योजना से नहीं, बल्कि छोटी-छोटी सावधानियों से बनता है। समाधान तीन स्तर पर होना चाहिए। पहला स्तर है सुधार का। हैंडबुक को तुरंत वेबसाइट से हटाया जाए और संशोधित संस्करण प्रकाशित किया जाए, जिसमें पीड़िता का नाम एक्स, वाई, जेड जैसे सांकेतिक नाम से लिखा जाए। दूसरा स्तर है जवाबदेही का। जिस अधिकारी ने बिना जांच के प्रकाशन की अनुमति दी, उस पर विभागीय कार्रवाई हो, ताकि भविष्य में हर अधिकारी सतर्क रहे। तीसरा स्तर है प्रणाली का। मंत्रालय में एक स्थायी विधिक प्रकोष्ठ बने, जो हर प्रकाशन से पहले यह जांचे कि कहीं किसी की पहचान उजागर तो नहीं हो रही।

यह घटना बताती है कि कानून का पालन केवल अदालत में नहीं, बल्कि कार्यालय में भी होना चाहिए। तथ्य यह है कि ग्यारह साल तक गलती का पकड़ा न जाना यह दिखाता है कि समीक्षा तंत्र सोया हुआ था। तथ्य यह है कि इंटरनेट पर एक बार नाम आ गया तो उसे पूरी तरह मिटाना कठिन है। इसलिए रोकथाम ही सबसे बड़ा उपाय है। आकर्षक बात यह है कि जिस पुस्तक को रक्षक बनना था, वही भक्षक बन गई। फटकार अंत नहीं, शुरुआत होनी चाहिए।

अदालत की फटकार को अंत नहीं, बल्कि शुरुआत माना जाना चाहिए। सरकार को चाहिए कि वह इस फटकार को अवसर बनाए और सभी मंत्रालयों की ऐसी सभी पुस्तिकाओं की जांच कराए, ताकि कहीं और ऐसी चूक न हो। यदि सरकार खुद अपनी गलती सुधार ले तो पीड़िता का भरोसा लौटेगा और कानून की किताब केवल कागज नहीं, बल्कि सुरक्षा का वचन बनेगी। जब रक्षक ही पहचान उजागर करने लगे तो न्याय की किताब को फिर से लिखने की जरूरत है और वह नई किताब सावधानी, जवाबदेही और संवेदनशीलता की स्याही से लिखी जानी चाहिए।

(नईदुनिया संपादकीय डेस्क)